

चैक लिस्ट एक के अनुसार..2

10

मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय
आदेश

भोपाल, दिनांक

क्रमांक 2-135/2011/12/1 यह कि जिला टीकमगढ़ के वन परिक्षेत्र बेदपुर/जतारा/माचीगढ़ के वन कक्ष क्र. 262 से संबंधित पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये खनि रियायत प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र तालिका क्र. 1 पर अंकित अनुसार पाये गये। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

तालिका क्र.-1

क्र.	आवेदक का नाम	आवेदन दिनांक	वन कक्ष क्र.	रकबा हे. में	आवेदित खनि रियायत/ खनिज
1.	श्री मयंक श्रीवास्तव पुत्र श्री पी.सी. श्रीवास्तव, एम.पी.ई. बी. ऑफिस, सिविल लाईस, टीकमगढ़	17.12.93	262	5.000	पी.एल./ डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
2.	श्री मनोहरलाल लोधी पुत्र श्री शिवलाल, ग्राम व पोस्ट घजरई जिला टीकमगढ़	22.12.93	262	5.000	पी.एल./ डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
3.	श्री आदर्श कुमार जैन, बस स्टेन्ड के पास टीकमगढ़	04.01.94	262	5.000	पी.एल./ डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
4.	मे. रेवती मिनरल्स एण्ड केमिकल्स प्रा. लि., 5, सिविल लाईन सागर	05.01.94	262	10.000	पी.एल./ डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
5.	मे. वैतवा मिनरल्स, 50/4, जड़िया मार्ग टीकमगढ़	22.01.94	262	5.000	पी.एल./ डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
6.	श्री अमर श्रीवास्तव द्वारा मे. शिवम मिनरल्स, नजर बाग, बरिया के सामने, टीकमगढ़	24.01.94	262	4.000	पी.एल./ डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
7.	श्री आजाद मोहम्मद पुत्र श्री नजीर अहमद, लक्ष्मी टॉकीज रोड	24.01.94	262	5.000	पी.एल./ डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट

क्र.	आवेदक का नाम	आवेदन दिनांक	वन कक्ष क्र.	रकबा हे. में	आवेदित खनि रियायत / खनिज
	टीकमगढ़				
8.	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, मदनपुर जिला ललितपुर	28.01.94	262	10.000	एम.एल. / डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
9.	श्री आदर्श कुमार जैन पुत्र श्री उत्तमचंद्र जैन, बस स्टेन्ड टीकमगढ़	31.01.94	262	5.000	एम.एल. / डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
10.	श्रीमती शोभा सिंह, ताल दरवाजा, टीकमगढ़	05.02.94	262	5.000	पी.एल. / डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
11.	श्री मोहन सिंह परमार, रामगढ़ टीकमगढ़	08.02.94	262	5.000	पी.एल. / डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
12.	श्री प्रदीप सिंह पुत्र श्री राव माधोसिंह, किले का मैदान जिला टीकमगढ़	14.02.94	262	10.000	पी.एल. / डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
13.	श्री धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह, ललितपुर	21.02.94	262	10.000	पी.एल. / डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
14.	श्री आदित्य नारायण पाराशर ग्राम व पोस्ट सोजना ललितपुर	22.02.94	262	5.000	पी.एल. / डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
15.	श्री महेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री सरदार सिंह, ताल दरवाजा, टीकमगढ़	22.02.94	262	10.000	पी.एल. / डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
16.	श्रीमती सुषमा सिंह पत्नी श्री यादवेन्द्र सिंह, ताला दरवाजा, टीकमगढ़	25.02.94	262	10.000	पी.एल. / डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
17.	मे. कृष्णा मिनरल्स, जय स्तंभ के पास, बस स्टेण्ड टीकमगढ़	08.03.94	262	5.000	पी.एल. / डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
18.	श्री किशन सिंह यादव, तहसील के पास टीकमगढ़	08.03.94	262	5.000	पी.एल. / डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
19.	श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी, लक्ष्मी टॉकीज के पास,	22.03.94	262	5.000	पी.एल. / डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट

क्र.	आवेदक का नाम	आवेदन दिनांक	वन कक्षा क्र.	रकबा हे. में	आवेदित खनिज रियायत/ खनिज
	टीकमगढ़				
20.	मे. अनुभव मिनरल्स, सिविल लाईन्स टीकमगढ़	25.04.94	262	5.000	पी.एल./ डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
21.	श्री कैलाश कोठारी, सिविल लाईन्स टीकमगढ़	25.04.94	262	5.000	पी.एल./ डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
22.	श्री जय कोठारी, सिविल लाईन्स टीकमगढ़	25.04.94	262	5.000	पी.एल./ डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
23.	श्री अमरजीत सिंह सिविल लाईन्स, टीकमगढ़	25.04.94	262	5.000	पी.एल./ डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
24.	श्री प्रमोद मसीह, 12, पंचशील नगर रायपुर	25.04.94	262	5.000	पी.एल./ डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
25.	डॉ. के.के. सक्सेना, सिविल लाईन, टीकमगढ़	25.04.94	262	5.000	पी.एल./ डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
26.	श्री चन्द्रप्रताप तिवारी पुत्र श्री तुलसीदास तिवारी, बडापुरा, कुरयान जिला टीकमगढ़	23.12.94	262	4.000	एम.एल./ पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर
27.	श्री महेन्द्र सिंह चौहान, वनपुरा खुर्द, टीकमगढ़	19.03.94	262	5.000	पी.एल./ पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर
28.	श्री दशरथ प्रसाद तिवारी, बड़ा मल्हारा जिला छतरपुर	27.03.95	262	300.00A	पी.एल./ डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
29.	श्री दशरथ प्रसाद तिवारी, बड़ा मल्हारा जिला छतरपुर	15.05.95	262	120.000	एम.एल./ डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
30.	श्री हर्ष कुमार सक्सेना, जय निवास, सिर्किट हाउस रोड टीकमगढ़	30.10.95	262	5.000	पी.एल./ पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर
31.	मे. शिल्पी स्टोन प्रा.लि., जय निवास, सिविल	30.10.95	262	2.500	एम.एल./ पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर

क्र.	आवेदक का नाम	आवेदन दिनांक	वन कक्ष क्र.	रकबा हे. में	आवेदित खनि रियायत/ खनिज
	लाइन्स रोड टीकमगढ़				
32.	श्री रवीन्द्र कुमार राय पुत्र श्री छक्कीलाल राय, कुरैचा नाका मोहल्ला, मउरानीपुर जिला झांसी	06.11.95	262	5.000	एम.एल./ पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर
33.	श्री राजीव नुना, लक्ष्मी टॉकीज के सामने टीकमगढ़	14.03.97	262	5.000	पी.एल./ पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर
34.	श्री महेन्द्र सिंह चौहान, ग्राम वनपुरा जिला टीकमगढ़	19.03.97	262	5.000	पी.एल./ डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
35.	श्री रविशंकर सिंह पुत्र श्री रमाशंकर सिंह, महेन्द बाग टीकमगढ़	19.03.97	262	5.000	पी.एल./ पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर
36.	श्री मनीष शर्मा, लिघोरा, टीकमगढ़	23.12.98	262	10.000	पी.एल./ पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर
37.	दि. मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., पर्यावास भवन जेल रोड भोपाल	28.07.03	262	4.500	एम.एल./ पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर
38.	दि. मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., पर्यावास भवन जेल रोड भोपाल	28.07.03	262	4.500	एम.एल./ पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर
39.	दि. मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., पर्यावास भवन जेल रोड भोपाल	28.07.03	262	4.500	एम.एल./ पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर
40.	मे. रिलायंस मिनरल्स प्रो. राजेन्द्र कुमार जैन, बाटा बैंक रोड, टीकमगढ़	19.08.03	262	2.000	एम.एल./ पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर
41.	मे. श्री ज्ञान माईनिंग एण्ड मिनरल्स, नूतन	23.01.04	262	4.500	एम.एल./ पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर

क्र.	आवेदक का नाम	आवेदन दिनांक	वन कक्ष क्र.	रकबा हे. में	आवेदित खनि रियायत/ खनिज
	बिहार कॉलोनी, टीकमगढ़				
42.	मे. श्री रामराजा मिनरल्स, पार्टनर श्री जगदीश शरण नायक, जेल रोड़ टीकमगढ़, जतारा, टीकमगढ़	20.02.04	262	5.000	पी.एल. / डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
43.	मे. मारुति मिनरल्स पार्टनर श्री वीरेन्द्र कुमार दीक्षित, दीक्षित, मोहल्ला जिला टीकमगढ़	20.02.04	262	12.000	पी.एल. / डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
44.	मे. रिलायंस मिनरल्स, बाटा बैंक रोड़, टीकमगढ़	29.03.04	262	4.500	एम.एल. / डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
45.	मे. श्री राम मिनल्स, सुनौनी, तह. व जिला टीकमगढ़	21.09.04	262	5.000	पी.एल. / डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
46.	मे. शिव मिनरल्स, बड़कुल, सिविल लाईन टीकमगढ़	08.08.05	262	4.000	एम.एल. / पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर
47.	मे. खजुराहो मिनरल्स प्रा.लि., पो. बाक्स नं. 24, छतरपुर	06.01.10	262	230.000	पी.एल. / डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
48.	मे. चम्बल माईंस एण्ड मिनरल्स, बुडार तह. सोहागपुर जिला शहडोल	04.03.09	262	5.000	पी.एल. / डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
49.	मे. चम्बल माईंस एण्ड मिनरल्स, बुडार तह. सोहागपुर जिला शहडोल	04.03.09	262	5.000	एम.एल.
50.	मे. कुण्डेश्वर मिनरल्स, प्रो. श्रीमती सुषमा सिंह, ताल दरवाजा, टीकमगढ़	30.03.10	262	10.000	पी.एल.

उपरोक्त आवेदन पत्रों के अतिरिक्त अन्य वन कक्ष कमाकों से संबंधित आवेदन पत्र भी पाये गये जिनका विवरण तालिका क्र. 2 में अंकित अनुसार निम्नलिखित है :-

तालिका क्र.-2

क्र.	आवेदक का नाम	आवेदन दिनांक	वन कक्ष क्र.	रकबा हे. में	आवेदित खनि रियायत/ खनिज
1.	श्री महेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री सरदार सिंह, ताल दरवाजा, टीकमगढ़	21.09.94	277/1	3.383	पी.एल./ डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
			707	8.915	
			Total	12.298	
2.	श्रीमती तूषा चकवर्ती, एम.आई. जी. सेक्ट-6, 3, शंकर नगर रायपुर	02.05.95	P-64	5.000	एम.एल./ पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर
3.	श्री देवकीनंदन अरोरा पुत्र स्व. श्री बी.आर. अरोरा, कटरा बजार टीकमगढ़	03.05.95	P-64	4.000	एम.एल./ पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर
4.	श्रीमती गुलाब रानी पत्नी श्री देवी सिंह, 49/36, साउथ टी.टी. नगर भोपाल	07.10.95	43, 45	5.000	एम.एल./ डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
5.	मे. वसुन्धरा स्टोनो एक्सप्लोरर्स प्रा.लि., 4, मनीषपुरी इंदौर	02.11.95	43	5.000	एम.एल./ पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर
6.	मे. वसुन्धरा स्टोनो एक्सप्लोरर्स प्रा.लि., 4, मनीषपुरी इंदौर	02.11.95	45	5.000	एम.एल./ पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर
7.	श्री हर्ष कुमार सक्सेना, जय निवास, सिर्किट हाउस रोड टीकमगढ़	29.11.95	44	5.000	एम.एल./ पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर
8.	श्रीमती सुषमा सिंह, ताल बजार टीकमगढ़	01.12.95	44	5.000	एम.एल./ पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर
9.	श्री ज्ञानेन्द्र सिंह बुन्देला, ताल बजार	01.12.95	44	5.000	एम.एल./ पायरोफिलाईट

क्र.	आवेदक का नाम	आवेदन दिनांक	वन कक्ष क्र.	रकबा हे. में	आवेदित खनि रियायत / खनिज
	टीकमगढ़				एवं डायस्पोर
10.	श्री राजेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री प्रताप सिंह यादव, रायपुर जिला टीकमगढ़	27.12.95	45	10.000	पी.एल. / पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर
11.	श्री राजेश कुमार सोनी पुत्र श्री बाबूलाल सोनी, राजमहल रोड टीकमगढ़	02.01.96	55	6.896	पी.एल. / पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर
12.	श्री राजेश कुमार सोनी पुत्र श्री बाबूलाल सोनी, राजमहल रोड टीकमगढ़	12.01.96	55	6.896	एम.एल. / पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर
13.	श्री हीरालाल लुहारिया पुत्र श्री तुलाराम लुहारिया, दिगौड़ा, जिला टीकमगढ़	04.03.96	P-178	6.014	पी.एल. / पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर

उपरोक्त तालिका क्र. 1 से संबंधित आवेदन पत्रों में से अधिकतम क्षेत्र 230.000 हे. पर आवेदक मे. खजुराहो मिनरल्स प्रा.लि. द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे बाद में संशोधित करते हुये 208.000 हे. क्षेत्र कर दिया गया था। मे. खजुराहो मिनरल्स प्रा.लि. के आवेदन पत्र के संबंध में कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि तहसील जतारा द्वारा वन कक्ष क्र. 262 को वन भूमि दर्शाते हुये प्रतिवेदन दिया गया है, ग्राम पंचायत बैदपुर तहसील जतारा द्वारा आवेदित क्षेत्र पर पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गई है।

आवेदित क्षेत्र के संबंध में वनमण्डलाधिकारी, टीकमगढ़ में अपने प्रतिवेदन में आवेदित क्षेत्र वन कक्ष क्र. 262 वनखण्ड माचीगढ़ का भाग है, पूर्णतः वन सीमा के अंतर्गत है। यदि आवेदित संस्थान वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तो प्रकरण में आगामी कार्यवाही करने का लेख किया गया है।

आवेदित क्षेत्र के संबंध में खनि निरीक्षक, टीकमगढ़ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित क्षेत्र समस्त प्रतिबंधित दूरियों से बाहर है, सार्वजनिक स्थल नहीं है। आबादी से लगभग 2 कि.मी. दूर है, धार्मिक स्थल, मरघट आदि नहीं है। अतः पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की है।

17
आवेदित क्षेत्र के संबंध में मानचित्रकार द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित क्षेत्र 208.000 हे. में से 198.000 हे. अन्य आवेदन पत्रों द्वारा आच्छादित है तथा शेष 10.000 हे. क्षेत्र पूर्वक्षेत्र अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्ध होता है।

उल्लेखनीय है कि तालिका क. 1 के सरल क. 47 पर अंकित अनुसार आवेदक मे. खजुराहो मिनरल्स प्रा.लि. को अपर प्रधान, मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल द्वारा पत्र क. 1322, भोपाल दिनांक 10.05.11 के माध्यम से सर्वेक्षण/पूर्वक्षेत्र कार्य के संबंध में सशर्त अनुमति प्रदान की गई है, जबकि यह अनुमति अन्य आवेदकों को प्राप्त नहीं है।

प्रकरण में एकाधिक आवेदक होने के कारण विभाग द्वारा समक्ष में सुनवाई कर निर्णय लिये जाने का प्रस्ताव दिया गया। तदनुसार दिनांक 29.11.11 की तिथि नियत की गई। जिसे अपरिहार्य कारणों से परिवर्तित कर कमशः 19.12.11 एवं 20.12.11 किया गया। सुनवाई तिथि को नस्ती में संधारित उपस्थित पत्रक के अनुसार आवेदकगण अथवा उनके प्रतिनिधि/विद्वान अधिवक्ता तथा खनि शाखा जिला कार्यालय टीकमगढ़ से श्री मनीष पालेवार, खनि निरीक्षक उपस्थित हुये।

सुनवाई के पश्चात् आवेदकवार स्थिति निम्नानुसार पाई गई :-

सरल क. 1 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री मयंक श्रीवास्तव द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षेत्र अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

सरल क. 2 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री मनोहरलाल लोधी, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षेत्र अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

सरल क. 3 एवं 9 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री आदर्श कुमार जैन, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षेत्र अनुज्ञप्ति

एवं खनिपट्टा प्राप्ति हेतु पृथक-पृथक दो आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। सुनवाई के समय आवेदक अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया। उल्लेखनीय है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं संलग्न समस्त अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण करने के उपरांत यह पाया कि आवेदक द्वारा आवेदित क्षेत्र में आवेदित खनिज की प्रमाणिक उपलब्धता प्रमाणित करने हेतु कोई पूर्वक्षण प्रतिवेदन अथवा अन्यथा उपलब्धता प्रमाणित करने हेतु साक्ष्य स्वरूप अन्य कोई अभिलेख संलग्न प्रस्तुत नहीं किया है जिससे आवेदक को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 5(2)(अ) के प्रावधानों की पूर्ति नहीं होने के कारण आवेदक के खनिपट्टा प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु उपयुक्त नहीं पाये गये।

सरल क. 4 पर अंकित अनुसार आवेदक मे. रेवती मिनरल्स एण्ड केमिकल्स प्रा.लि., द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 10.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक कंपनी के प्रतिनिधि अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक कंपनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक कंपनी को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक कंपनी का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

सरल क. 5 पर अंकित अनुसार आवेदक मे. वेतवा मिनरल्स, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक फर्म के प्रतिनिधि अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक फर्म द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक फर्म को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक फर्म का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

सरल क. 6 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री अमर श्रीवास्तव, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 4.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक द्वारा प्रस्तुत विवरण से ज्ञात हुआ कि :-

1. आवेदक आवेदित क्षेत्र पर प्रथम आवेदक है जिसे खनन कार्य का विगत 20 वर्षों का अनुभव प्राप्त है। आवेदक को खनि रियायत स्वीकृत होने पर स्वयं के उद्योग की स्थापना करते हुये स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। अतः आवेदक के नाम पर आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया।

सरल क. 7 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री आजाद मोहम्मद, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

सरल क. 8 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 10.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये खनिपट्टा प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया। उल्लेखनीय है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं संलग्न समस्त अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण करने के उपरान्त यह पाया कि आवेदक द्वारा आवेदित क्षेत्र में आवेदित खनिज की प्रमाणिक उपलब्धता प्रमाणित करने हेतु कोई पूर्वक्षण प्रतिवेदन अथवा अन्यथा उपलब्धता प्रमाणित करने हेतु साक्ष्य स्वरूप अन्य कोई अभिलेख संलग्न प्रस्तुत नहीं किया है जिससे आवेदक को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 5(2)(अ) के प्रावधानों की पूर्ति नहीं होने के कारण आवेदक के खनिपट्टा प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

सरल क. 10 पर अंकित अनुसार आवेदिका श्रीमती शोभा सिंह, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदिका द्वारा प्रस्तुत विवरण से ज्ञात हुआ कि :-

1. आवेदित क्षेत्र पर आवेदिका प्रथम आवेदक है। आवेदिका को अभी तक कोई भी खनिपट्टा स्वीकृत नहीं है। आवेदिका द्वारा जिला उद्योग केन्द्र टीकमगढ़ में फेक्ट्री लगाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदिका को खदान

स्वीकृत होने पर उक्त इकाई प्रारंभ कर दी जायेगी। अतः आवेदिका के पक्ष में खनि रियायत स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया गया।

सरल क. 11 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री मोहन सिंह परमार, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षणा अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

सरल क. 12 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री प्रदीप सिंह, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 10.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षणा अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

सरल क. 13 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री धर्मेन्द्र सिंह, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 10.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षणा अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

सरल क. 14 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री आदित्य नारायण पाराशर, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षणा अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके।

अतः आवेदक का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

सरल क. 15 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री महेन्द्र सिंह, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 10.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षणा अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक द्वारा प्रस्तुत विवरण से ज्ञात हुआ कि :-

1. आवेदित क्षेत्र पर आवेदक प्रथम आवेदक है। आवेदक द्वारा आई.बी.एम. टेक्नीकल कंसलटेंसी सर्विस शाखा से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। आवेदक को अभी तक कोई खनिपट्टा स्वीकृत नहीं है। आवेदक द्वारा जिला उद्योग केन्द्र टीकमगढ़ में उद्योग लगाने हेतु पंजीयन करा लिया गया है। चूंकि आवेदित क्षेत्र वन भूमि है। अतः वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही किये जाने के संबंध में प्रतिबद्धता दर्शाते हुये आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया।

सरल क. 16 पर अंकित अनुसार आवेदिका श्रीमती सुषमा सिंह, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 10.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षणा अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदिका द्वारा प्रस्तुत विवरण से ज्ञात हुआ कि :-

1. आवेदित क्षेत्र पर आवेदिका प्रथम आवेदक है। आवेदिका द्वारा आई.बी.एम. टेक्नीकल कंसलटेंसी सर्विस शाखा से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। आवेदिका को अभी तक कोई खनिपट्टा स्वीकृत नहीं है। आवेदिका द्वारा जिला उद्योग केन्द्र टीकमगढ़ में उद्योग लगाने हेतु पंजीयन करा लिया गया है। चूंकि आवेदित क्षेत्र वन भूमि है। अतः वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही किये जाने के संबंध में प्रतिबद्धता दर्शाते हुये आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया।

सरल क. 17 पर अंकित अनुसार आवेदक मे. कृष्णा मिनरल्स, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षणा अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक फर्म के प्रतिनिधि अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक फर्म द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक फर्म को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक फर्म का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

सरल क. 18 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री किशन सिंह, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षणा अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु

आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

सरल क. 19 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री ओमप्रकाश त्रिपाठी, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

सरल क. 20 पर अंकित अनुसार आवेदक मे. अनुभव मिनरल्स, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक फर्म के प्रतिनिधि द्वारा तर्क देते हुये आवेदित खनि रियायत आवेदक फर्म के पक्ष में स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया गया।

सरल क. 21 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री कैलाश कोठारी, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक द्वारा तर्क देते हुये आवेदित खनि रियायत आवेदक के पक्ष में स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया गया।

सरल क. 22 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री जय कोठारी, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक द्वारा तर्क देते हुये आवेदित खनि रियायत आवेदक के पक्ष में स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया गया।

सरल क. 23 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री अमरजीत सिंह, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक द्वारा तर्क देते हुये

आवेदित खनि रियायत आवेदक के पक्ष में स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया गया।

सरल क. 24 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री प्रमोद मसीह, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

सरल क. 25 पर अंकित अनुसार आवेदक डॉ. के.के. सक्सेना, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

सरल क. 26 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री चन्द्रप्रताप तिवारी, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 4.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये खनिपट्टा प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदक का प्रकरण भारत सरकार खान मंत्रालय ने खनिपट्टा हेतु विचाराधीन है। जिले म.प्र. शासन, वन विभाग भोपाल द्वारा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली को अनुशंसा सहित प्रेषित कर दिया गया है। इन तथ्यों के दृष्टिगत आवेदक द्वारा खनिपट्टा स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया गया।

सरल क. 27 एवं 34 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री महेन्द्र सिंह चौहान, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु पृथक-पृथक दो आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। सुनवाई के समय आवेदक अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

सरल क. 28 एवं 29 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री दशरथ प्रसाद तिवारी, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा कमशः 300.00 एकड़ एवं 120.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति एवं खनिपट्टा प्राप्ति हेतु पृथक-पृथक दो आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। सुनवाई के समय आवेदक अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया। उल्लेखनीय है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं संलग्न समस्त अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण करने के उपरांत यह पाया कि आवेदक द्वारा आवेदित क्षेत्र में आवेदित खनिज की प्रमाणिक उपलब्धता प्रमाणित करने हेतु कोई पूर्वक्षण प्रतिवेदन अथवा अन्यथा उपलब्धता प्रमाणित करने हेतु साक्ष्य स्वरूप अन्य कोई अभिलेख संलग्न प्रस्तुत नहीं किया है जिससे आवेदक को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 5(2)(अ) के प्रावधानों की पूर्ति नहीं होने के कारण आवेदक के खनिपट्टा प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु उपयुक्त नहीं पाये गये।

सरल क. 27 एवं 34 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री महेन्द्र सिंह चौहान, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु पृथक-पृथक दो आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। सुनवाई के समय आवेदक अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

सरल क. 30 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री हर्ष कुमार सक्सैना, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

सरल क. 31 पर अंकित अनुसार आवेदक मे. शिल्पी स्टोन प्रा.लि., द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 2.500

25

हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये खनिपट्टा प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक कंपनी के प्रतिनिधि अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक कंपनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक कंपनी को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक कंपनी का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया। उल्लेखनीय है कि आवेदक कंपनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं संलग्न समस्त अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण करने के उपरांत यह पाया कि आवेदक कंपनी द्वारा आवेदित क्षेत्र में आवेदित खनिज की प्रमाणिक उपलब्धता प्रमाणित करने हेतु कोई पूर्वक्षण प्रतिवेदन अथवा अन्यथा उपलब्धता प्रमाणित करने हेतु साक्ष्य स्वरूप अन्य कोई अभिलेख संलग्न प्रस्तुत नहीं किया है जिससे आवेदक कंपनी को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 5(2)(अ) के प्रावधानों की पूर्ति नहीं होने के कारण आवेदक कंपनी का खनिपट्टा प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

सरल क. 32 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री रवीन्द्र कुमार राय, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया। उल्लेखनीय है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं संलग्न समस्त अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण करने के उपरांत यह पाया कि आवेदक द्वारा आवेदित क्षेत्र में आवेदित खनिज की प्रमाणिक उपलब्धता प्रमाणित करने हेतु कोई पूर्वक्षण प्रतिवेदन अथवा अन्यथा उपलब्धता प्रमाणित करने हेतु साक्ष्य स्वरूप अन्य कोई अभिलेख संलग्न प्रस्तुत नहीं किया है जिससे आवेदक को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 5(2)(अ) के प्रावधानों की पूर्ति नहीं होने के कारण आवेदक के खनिपट्टा प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु उपयुक्त नहीं पाये गये।

सरल क. 33 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री राजीव नुना, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा

11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

सरल क. 35 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री रविशंकर सिंह, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

सरल क. 36 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री मनीष शर्मा, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 10.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

सरल क. 37, 38 एवं 39 पर अंकित अनुसार आवेदक दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 4.500 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये खनिपट्टा प्राप्ति हेतु पृथक-पृथक तीन आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। सुनवाई के समय कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा कंपनी की गतिविधियों, वित्तीय स्थिति, तकनीकी अमले, माईनिंग मशीनरी आदि का उल्लेख करते हुये आवेदित खनिपट्टा आवेदक कंपनी के पक्ष में स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया परंतु आवेदक कंपनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं संलग्न समस्त अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण करने के उपरान्त यह पाया कि आवेदक कंपनी द्वारा आवेदित क्षेत्र में आवेदित खनिज की प्रमाणिक उपलब्धता प्रमाणित करने हेतु कोई पूर्वक्षण प्रतिवेदन अथवा अन्यथा उपलब्धता प्रमाणित करने हेतु साक्ष्य स्वरूप अन्य कोई अभिलेख संलग्न प्रस्तुत नहीं किया है जिससे आवेदक कंपनी को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 5(2)(अ) के प्रावधानों की पूर्ति नहीं होने के कारण आवेदक कंपनी के खनिपट्टा प्राप्ति हेतु तीन आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु उपयुक्त नहीं पाये गये।

सरल क. 40 एवं 44 पर अंकित अनुसार आवेदक मे. रिलायंस मिनरल्स, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा

कमशः 2.000 हे. एवं 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये खनिपट्टा प्राप्ति हेतु पृथक-पृथक दो आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। सुनवाई के समय आवेदक फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक फर्म को कोई खनि रियायत स्वीकृत नहीं है। आवेदक फर्म द्वारा मिनरल ट्रेडिंग का कार्य किय जा रहा है। वर्तमान में किराये पर पल्वेराईजर लेण्ड अन्य खदान मालिकों से पायरोफिलाईट कय किया जाता है। अतः आवेदक फर्म के पक्ष में खनि रियायत स्वीकृत की जाये। उल्लेखनीय है कि आवेदक फर्म द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं संलग्न समस्त अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण करने के उपरांत यह पाया कि आवेदक फर्म द्वारा आवेदित क्षेत्र में आवेदित खनिज की प्रमाणिक उपलब्धता प्रमाणित करने हेतु कोई पूर्वक्षण प्रतिवेदन अथवा अन्यथा उपलब्धता प्रमाणित करने हेतु साक्ष्य स्वरूप अन्य कोई अभिलेख संलग्न प्रस्तुत नहीं किया है जिससे आवेदक फर्म को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 5(2)(अ) के प्रावधानों की पूर्ति नहीं होने के कारण आवेदक फर्म के खनिपट्टा प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु उपयुक्त नहीं पाये गये।

सरल क. 41 पर अंकित अनुसार आवेदक मे. ज्ञान माईनिंग एण्ड मिनरल्स, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 4.500 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये खनिपट्टा प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं संलग्न समस्त अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण करने के उपरांत यह पाया कि आवेदक द्वारा आवेदित क्षेत्र में आवेदित खनिज की प्रमाणिक उपलब्धता प्रमाणित करने हेतु कोई पूर्वक्षण प्रतिवेदन अथवा अन्यथा उपलब्धता प्रमाणित करने हेतु साक्ष्य स्वरूप अन्य कोई अभिलेख संलग्न प्रस्तुत नहीं किया है जिससे आवेदक को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 5(2)(अ) के प्रावधानों की पूर्ति नहीं होने के कारण आवेदक के खनिपट्टा प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

सरल क. 42 पर अंकित अनुसार आवेदक मे. श्रीरामराजा मिनरल्स, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक फर्म के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत विवरण से ज्ञात हुआ कि :-

1. आवेदक फर्म द्वारा आवेदित खनिज पर आधारित उद्योग की स्थापनरा की जावेगी। इसके लिये फर्म को बैंक द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु बैंक से अनुरोध किया है तथा उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि यदि फर्म को खनिपट्टा प्राप्त होता है तो फर्म को बैंक द्वारा जो भी आर्थिक सहायता की आवश्यकता होगी, प्रदान करने हेतु तत्पर है।
2. आवेदक फर्म द्वारा खनिज की उपलब्धता मिलने पर आवश्यकतानुसार तकनीकी अमले की नियुक्ति की जायेगी।

3. आवेदक फर्म को विषयांकित पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत होने पर किये जाने वाले पूर्वक्षण कार्य पर लगभग 10 लाख रु. व्यय होने की संभावना है जिसे व्यय करने में आवेदक फर्म स्वयं सक्षम है। क्योंकि फर्म के भागीदारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है तथा इनके पास काफी कृषि भूमि है। आवेदक फर्म के भागीदारों का वर्तमान व्यवसाय कृषि है।

4. आवेदक फर्म को पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत होने पर पूर्वक्षण कार्य एवं बाद में खनिपट्टा स्वीकृत होने पर खनन कार्य में अनिवार्य रूप से लगभग 50 प्रतिशत स्थानीय व्यक्तियों को नियोजित किया जायेगा। फर्म के द्वारा किये जाने वाले पूर्वक्षण कार्य एवं खनन कार्य में लगभग 200 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार की प्राप्ति होगी।

6. आवेदक फर्म को खनिपट्टा स्वीकृत होने के पश्चात् खदान में कार्यरत व्यक्तियों तथा स्थानीय व्यक्तियों की शिक्षा स्वास्थ्य एवं सामुदायिक विकास के लिये विभिन्न योजनायें फर्म द्वारा अपने लाभांश से संचालित की जायेगी। इन सभी तथ्यों के दृष्टिगत आवेदक फर्म के पक्ष में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया।

सरल क. 43 पर अंकित अनुसार आवेदक मे. मारुति मिनरल्स, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 12.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक फर्म के प्रतिनिधि द्वारा तर्क देते हुये विषयांकित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु सैद्धांतिक सहमति दिये जाने का अनुरोध किया गया।

सरल क. 45 पर अंकित अनुसार आवेदक मे. श्रीराम मिनरल्स, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक फर्म के प्रतिनिधि अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक फर्म द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

सरल क. 46 पर अंकित अनुसार आवेदक मे. शिव मिनरल्स, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 4.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये खनिपट्टा प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं संलग्न समस्त अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण करने के उपरांत यह पाया कि आवेदक द्वारा आवेदित क्षेत्र में आवेदित खनिज की प्रमाणिक उपलब्धता प्रमाणित करने हेतु कोई पूर्वक्षण प्रतिवेदन अथवा अन्यथा उपलब्धता प्रमाणित करने हेतु

29 80

साक्ष्य स्वरूप अन्य कोई अभिलेख संलग्न प्रस्तुत नहीं किया है जिससे आवेदक को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 5(2)(अ) के प्रावधानों की पूर्ति नहीं होने के कारण आवेदक के खनिपट्टा प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

सरल क. 47 पर अंकित अनुसार आवेदक खजुराहो मिनरल्स प्रा.लि., द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 230.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षेत्र अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत विवरण से ज्ञात हुआ कि :-

1. आवेदक कंपनी के चारों संचालकों में से संचालक श्री अजयपाल सिंह एवं श्री आलोक चतुर्वेदी को खनिजों के व्यापार एवं पूर्वक्षेत्र/खनन कार्य का विगत 26 वर्षों का अनुभव प्राप्त है। आवेदक कंपनी की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है। कंपनी की कुल नेटवर्थ 1,57,73,013 रुपये है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कंपनी को 10 करोड़ रु. की राशि हेतु साख प्रमाण पत्र दिया गया है तथा कंपनी के प्रस्तावित उद्योग के लिये भी वित्तीय सहायता प्रदान करने का आश्वासन पत्र प्रदान किया गया है।
2. कंपनी के पास अनुमती माईनिंग इंजीनियर, सर्वेयर, मेट, फोरमेन आदि पूर्व से ही कार्यरत हैं। जिनकी सूची संलग्न है। इसके साथ ही कंपनी को मे. बलराम सिंह एसोसियेट्स प्रा.लि. मैहर द्वारा पूर्वक्षेत्र कार्य में तकनीकी परामर्श दिया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर अन्य तकनीकी व्यक्तियों की नियुक्ति की जायेगी।
3. कंपनी को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) द्वारा विषयांकित वन कक्ष क. पर सर्वक्षेत्र/पूर्वक्षेत्र कार्य हेतु सशर्त सहमति पत्र प्रदान किया गया है। कंपनी के द्वारा छतरपुर जिले में ही आवेदित खनिजों के प्रसंस्करण हेतु माइक्रोनाइज्ड पल्वेराइजर लगाया गया है जिसके प्रमाण स्वरूप विद्युत देयक की प्रतिलिपि एवं जिला उद्योग केन्द्र में पंजीयन की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है।
4. प्रस्तावित पूर्वक्षेत्र कार्य एवं खनन कार्य पर लगभग 50 लाख रुपये व्यय होने की संभावना है जिस हेतु कंपनी स्वयं सक्षम है। आवेदक कंपनी खजुराहो मिनरल समूह की कंपनी है। समूह को पूर्व से ही अन्य क्षेत्र में खनिपट्टा स्वीकृत है। अतः समूह के पास खनन हेतु आवश्यक मशीनरी, वाहन एवं टूल्स उपलब्ध हैं। कंपनी को विषयांकित खनि रियायत स्वीकृत होने पर पूर्वक्षेत्र एवं खनन कार्य में आधुनिकतम, तकनीक का उपयोग किया जायेगा। कंपनी द्वारा खनन कार्य एवं आवेदित खनिज पर आधारित मूल्य संवर्धन इकाई में कम से कम 50 प्रतिशत स्थानीय व्यक्तियों को नियोजित किया जायेगा। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 57(1) एवं 47(1) तथा माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया। कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि अन्य आवेदक मे. श्री रामराजा मिनरल्स द्वारा वन कक्ष क. 262 के आवेदित क्षेत्र 5.000 हे. कंपनी की आवश्यकता के अनुरूप नहीं होने के कारण उक्त क्षेत्र पर खनि रियायत प्राप्त

कस्ने में कंपनी की कोई रुचि नहीं है। यह क्षेत्र किसी अन्य आवेदक को दिया जाता है तो कंपनी को कोई आपत्ति नहीं है अर्थात् कंपनी के रुचि वन कक्ष क. 262 के मात्र 203.000 हे. क्षेत्र पर ही है। इस हेतु वांछित क्षेत्र का मानचित्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है।

सरल क. 48 एवं 49 पर अंकित अनुसार आवेदक मे. चम्बल माईस एण्ड मिनरल्स, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलार्ड एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षणा अनुज्ञप्ति एवं खनिपट्टा प्राप्ति हेतु पृथक-पृथक दो आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। सुनवाई के समय आवेदक फर्म के प्रतिनिधि अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक फर्म द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक फर्म को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक फर्म का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया। उल्लेखनीय है कि आवेदक फर्म द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं संलग्न समस्त अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण करने के उपरांत यह पाया कि आवेदक फर्म द्वारा आवेदित क्षेत्र में आवेदित खनिज की प्रमाणिक उपलब्धता प्रमाणित करने हेतु कोई पूर्वक्षणा प्रतिवेदन अथवा अन्यथा उपलब्धता प्रमाणित करने हेतु साक्ष्य स्वरूप अन्य कोई अभिलेख संलग्न प्रस्तुत नहीं किया है जिससे आवेदक फर्म को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 5(2)(अ) के प्रावधानों की पूर्ति नहीं होने के कारण आवेदक फर्म का खनिपट्टा प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

सरल क. 50 पर अंकित अनुसार आवेदक मे. कुण्डेश्वर मिनरल्स, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 10.000 हे. क्षेत्र पर पूर्वक्षणा अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक फर्म के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत विवरण से ज्ञात हुआ कि :-

1. आवेदित क्षेत्र पर आवेदक फर्म प्रथम आवेदक है। आवेदक द्वारा आई.बी.एम. टेक्नीकल कंसलटेंसी सर्विस शाखा से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। आवेदक को अभी तक कोई खनिपट्टा स्वीकृत नहीं है। आवेदक द्वारा जिला उद्योग केन्द्र टीकमगढ़ में उद्योग लगाने हेतु पंजीयन करा लिया गया है। चूंकि आवेदित क्षेत्र वन भूमि है। अतः वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही किये जाने के संबंध में प्रतिबद्धता दर्शाते हुये आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया।

समस्त आवेदकों के आवेदन पत्रों, संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों, आवेदकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों का श्रवण, अवलोकन एवं परीक्षण करने के पश्चात् यह पाया कि तालिका क. 1 के सरल क. 47 पर अंकित अनुसार आवेदक मे. खजुराहो मिनरल्स प्रा.लि. द्वारा समस्त आवेदकों की तुलना में मूलतः सर्वाधिक 230.000 हे. क्षेत्र पर पूर्वक्षणा अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे संशोधित करते हुये 208.000 हे. किया गया तथा सुनवाई के समय पुनः संशोधित करते हुये 203.000 हे. किया गया। प्रकरण में पूर्ववर्ती अन्य आवेदकों द्वारा वन

कक्ष क. 262 के छोटे-छोटे क्षेत्र पर खनि रियायत प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये हैं जबकि सरल क. 47 पर अंकित अनुसार आवेदक मे. खजुराहो मिनरल्स प्रा.लि. द्वारा काफी बृहद क्षेत्र पर खनि रियायत चाही गई है। इनके द्वारा आवेदित खनिज पर आधारित उद्योग (माइकोनाइज्ड पल्वेराइजर संयंत्र) का पूर्व से ही सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। कंपनी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है। कंपनी के संचालकगण को खनिजों के व्यापार, सर्वेक्षण/पूर्वक्षण कार्य आदि का विगत 26 वर्षों का अनुभव प्राप्त है। कंपनी में पूर्व से ही खनन संबंधी मशीनरी उपलब्ध है एवं विभिन्न तकनीकी विशेषज्ञ पूर्व से ही नियोजित हैं। इन्हें अपर प्रधान, मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल द्वारा पत्र क. 1322, भोपाल दिनांक 10.05.11 के माध्यम से सर्वेक्षण/पूर्वक्षण कार्य के संबंध में सशर्त अनुमति प्रदान की गई है, जबकि यह अनुमति अन्य आवेदकों को प्राप्त नहीं है। वन कक्ष क. 262 के अधिकांश क्षेत्र पर ये एकल आवेदक हैं। अतः अधिकांश क्षेत्र पर इन्हें अधिनियम की धारा 11(2) के अधीन वरीयता प्राप्त होती है। उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत तालिका क. 1 के सरल क. 47 पर अंकित अनुसार आवेदक मे. खजुराहो मिनरल्स प्रा.लि. को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 11(5) के अधीन भी वरीयता दिये जाने हेतु पर्याप्त आधार प्राप्त होता है। विषयांकित वन कक्ष क. 262 के छोटे-छोटे क्षेत्र विभिन्न आवेदकों को खनि रियायत पर स्वीकृत किये जाने से क्षेत्र का विभाजन होने के कारण इस क्षेत्र पर सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक खनन किया जाना संभव नहीं होगा। जबकि आवेदक मे. खजुराहो मिनरल्स प्रा.लि. को खनि रियायत हेतु उपलब्ध क्षेत्र संलग्न एवं संबद्ध एक ही खण्ड में होने से उनके द्वारा इस क्षेत्र पर सुव्यवस्थित, वैज्ञानिक एवं शून्य अपव्यय खनन दिव्या जाना संभव होगा जो कि भारत सरकार खान मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप होगा। अतः सरल क. 47 पर अंकित अनुसार आवेदक मे. खजुराहो मिनरल्स प्रा.लि. को पश्चात्पूर्ती आवेदक होने के पश्चात् भी उपरोक्त सभी तथ्यों के दृष्टिगत वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 203.000 हे. क्षेत्र (मानचित्र में अंकित अनुसार) पर अधिनियम की धारा 11(5) के अधीन डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट खनिज के लिये 2 वर्ष की समयावधि हेतु पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है तथा एक अन्य आवेदक मेसर्स रामराजा मिनरल्स के पक्ष में वन कक्ष क्रमांक 262 का 5.000 हे० क्षेत्र पर पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने हेतु सैद्धान्तिक सहमति का निर्णय लिया गया है जिसके आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे मेसर्स खजुराहो मिनरल्स के पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	आवेदक का नाम	स्वीकृत वन कक्ष क.	स्वीकृत रकबा हे. में	खनि रियायत/ खनिज
1.	मे. खजुराहो मिनरल्स प्रा.लि.	262	199.00	पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति / डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट

उपरोक्तानुसार उपयुक्त पाये गये आवेदक के पक्ष में क्षेत्र स्वीकृत किये जाने से सरल क. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 43, 45, 48 एवं 50 पर अंकित अनुसार आवेदकों को स्वीकृति हेतु कोई क्षेत्र उपलब्ध न होने तथा कोई भी अन्य ऐसे तथ्य ज्ञात न होने जिनके आधार पर उन्हें खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दिये जाने हेतु आधार प्राप्त हो सके। अतः इनके आवेदन पत्र एतद् द्वारा निरस्त किये जाते हैं। साथ ही सरल क. 8, 9, 29, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46 एवं 49 पर अंकित अनुसार आवेदक द्वारा सीधे ही खनिज प्राप्त हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है परंतु उनके द्वारा आवेदित क्षेत्र पर आवेदित खनिज की प्रमाणिक उपलब्धता प्रमाणित करने हेतु कोई भी पूर्वक्षण प्रतिवेदन अथवा साक्ष्य स्वरूप कोई भी अभिलेख संलग्न प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 5(2)(अ) के प्रावधानों की पूर्ति नहीं होती है। अतः उनके खनिज प्राप्त आवेदन पत्र एतद् द्वारा निरस्त किये जाते हैं।

साथ ही सरल क. 26 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री चंद्रप्रताप तिवारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उनका प्रकरण मध्य प्रदेश शासन वनविभाग द्वारा भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली को अनुशंसा सहित प्रेषित किया गया है जो भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में लंबित है। इस आवेदन पत्र के संबंध में भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात सरल क. 26 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री चंद्रप्रताप तिवारी के आवेदन पत्र पर निर्णय अलग से लिया जायेगा।

अतः राज्य शासन द्वारा पूर्णविचारोपरांत आवेदक मेसर्स खजुराहो मिनरल्स प्रा. लि. के पक्ष में प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल के पत्र क्र. एफ 1/603/2011/10-11/13 22 दिनांक 10.05.2011 में निहित निम्नानुसार शर्तों विवरण अनुसार दो वर्ष की अवधि के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जाती है

1. यह अनुमति खनिज साधन विभाग की पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति जारी होने के उपरांत ही प्रभावशील होगी।
2. पूर्वक्षण/सर्वेक्षण कार्य की अवधि खनिज विभाग द्वारा अनुबंध जारी किये जाने की दिनांक से एक वर्ष तक के लिये वैध होगी।
3. पूर्वक्षण/सर्वेक्षण के कार्य के दौरान 208.00 हे० वनभूमि में 4 इंच व्यास के केवल 03 (तीन) बोर होल किये जावेंगे।
4. पूर्वक्षण /सर्वेक्षण कार्य के दौरान न तो कोई वृक्ष काटे/छांटे जावेगे और न ही किसी वृक्ष को कोई क्षति पहुंचाई जायेगी। बोर होल के अलावा अन्य कोई उत्खनन कार्य अथवा वनलाममि पर कैम्प लगाना या कोई गैर वानिकी कार्य नहीं किया जाएगा।
5. पूर्वक्षण/सर्वेक्षण कार्य के दौरान कार्य में लगे आवेदक के श्रमिकों द्वारा यदि वनों को कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो इसका जो भी मुआवजा वनमंडलाधिकारी टीकमगढ़ द्वारा आंकलित किया जावेगा वह आवेदक संस्थान को भुगतान करना होगा।
6. आवेदक को वन क्षेत्र में भेजी जाने वाली ड्रिल मशीन/रिंग का पूर्ण विवरण एवं उसके साथ भेजे जाने वाले व्यक्तियों की सूची व.म.अ को उपलब्ध कराना होगा वन मार्गों के उपयोग की

- अनुमति निर्धारित शुल्क जमा कर व.म.अ. से प्राप्त करना होगी।
ड्रिल मशीन/रिंग के परिवहन हेतु कोई नये मार्गों का निर्माण नहीं किया जावेगा।
7. क्षेत्र में प्रवेश हेतु संबंधित वनमंडलाधिकारी की अनुमति लेनी होगी एवं पूर्वक्षण /सर्वक्षण कार्य के दौरान वनमंडलाधिकारी द्वारा निर्देशित वन अधिकारी को साथ में रखा जायेगा। बोर होल का स्थान संलग्न किये गये वनअधिकारी की सहमति से चयन किया जावेगा।
8. खनिज उपलब्ध होने पर आवेदक संस्थान को वनभूमि लीज पर देने की राज्य शासन की वचन बद्धता नहीं होगी।
9. पूर्वक्षण /सर्वक्षण का कार्य समाप्त होने पर बोर होल का वास्तविक स्थान वन मानचित्र (1:15000 स्केल पर) अंकित कर सर्वक्षण के परिणाम सहित प्रतिवेदन इस कार्यालय को भेजा जावेगा।
10. किये गये बोर होल को संस्था द्वारा कार्य उपरांत उनके व्यय पर तुरंत बुद किया जावेगा।
11. वनभूमि पर कार्य करने की अनुमति देने के पूर्व आवेदक संस्थान से उपरोक्त शर्तें मान्य करने संबंधी लिखित वचन-पत्र कार्य प्रारम्भ का प्रमाण पत्र वनमंडलाधिकारी टीकमगढ़ द्वारा प्राप्त किया जावेगा।
12. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर यह अनुमति स्वतः समाप्त मानी जावेगी एवं वन मंडलाधिकारी टीकमगढ़ को तत्काल प्रभाव से कार्य बंद करने का पूर्ण अधिकार होगा।
13. कार्य की प्रगति की समीक्षा किसी भी समय राज्य शासन द्वारा की जा सकेगी।

अन्य शर्तें/विवरण

- | | | |
|----|---|--|
| 1- | आवेदक का नाम | मे. खजुराहो मिनरल्स प्रा.लि., पो. बाक्स नं. 24, छतरपुर |
| 2- | स्वीकृत क्षेत्र का विवरण | जिला टीकमगढ़ के वन परिक्षेत्र कक्ष क्र. 262 स्वीकृत रकबा 199.000 हे० |
| 3- | खनिज का नाम | डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट |
| 4- | स्वीकृत अवधि | वन विभाग की शर्त अनुसार वर्ष 02 (दो वर्ष) |
| 5- | रायल्टी डेडरेंट आदि नियमों में प्रावधानित दर से | |
| 6- | थियोडोलाईट सर्वे आदि यदि आवश्यक हो तो | |
| 7- | अनुबंध निष्पादन के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि आवेदक के ऊपर खनिज राजस्व बकाया तो नहीं है। | |
| 8- | भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.6.2006 के अपेक्षा अनुसार कार्यवाही की जावे। | |

यदि आवेदक को उपरोक्त शर्तें मान्य हो तो नियमानुसार जमानत राशि आदि जमा करायी जाकर तीन माह के अंदर अनुबंध का निष्पादन कराया जावे एवं निष्पादन अनुबंध की एक प्रति इस विभाग को शीघ्र भेजी जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सी.पी.यादव)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग
भोपाल, दिनांक 23/3/12

पृ.कमांक एफ 2-135/2011/12/1

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, म0प्र0शासन वन विभाग भोपाल, म0प्र0
2. कलेक्टर जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश।
3. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर उनके क्रमांक 1/603/2011/10-11/13/22 दिनांक 10.05.2013 के संदर्भ में सूचनार्थ।
4. वनमण्डलाधिकारी टीकमगढ़ म0प्र0
5. डायरेक्टर, जनरल आफ माईन्स सेफ्टी धनवाद(झारखण्ड)
6. कन्ट्रोलर जनरल इण्डियन ब्यूरो आफ माईन्स नागपुर(महाराष्ट्र)
7. क्षेत्रीय खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो जबलपुर (म0प्र0)
8. श्री मयंक श्रीवास्तव पुत्र श्री पी.सी. श्रीवास्तव, एम.पी.ई.बी. ऑफिस, सिविल लाईंस, टीकमगढ़
9. श्री मनोहरलाल लोधी पुत्र श्री शिवलाल, ग्राम व पोस्ट घजरई जिला टीकमगढ़
10. श्री आदर्श कुमार जैन, बस स्टेन्ड के पास टीकमगढ़
11. मे. रेवती मिनरल्स एण्ड केमिकल्स प्रा.लि., 5, सिविल लाईन सागर
12. मे. वेतवा मिनरल्स, 50/4, जड़िया मार्ग टीकमगढ़
13. श्री अमर श्रीवास्तव द्वारा मे. शिवम मिनरल्स, नजर बाग, बरिया के सामने, टीकमगढ़
14. श्री आजाद मोहम्मद पुत्र श्री नजीर अहमद, लक्ष्मी टॉकीज रोड टीकमगढ़
15. श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, मदनपुर जिला ललितपुर
16. श्री आदर्श कुमार जैन पुत्र श्री उत्तमचंद्र जैन, बस स्टेन्ड टीकमगढ़
17. श्रीमती शोभा सिंह, ताल दरवाजा, टीकमगढ़
18. श्री मोहन सिंह परमार, रामगढ़ टीकमगढ़
19. श्री प्रदीप सिंह पुत्र श्री राव माधोसिंह, किले का मैदान जिला टीकमगढ़
20. श्री धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह, ललितपुर
21. श्री आदित्य नारायण पाराशर ग्राम व पोस्ट सोजना ललितपुर
22. श्री महेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री सरदार सिंह, ताल दरवाजा, टीकमगढ़

23. श्रीमती सुषमा सिंह पत्नी श्री यादवेन्द्र सिंह, ताला दरवाजा, टीकमगढ़
24. मे. कृष्णा मिनरल्स, जय स्तंभ के पास, बस स्टेण्ड टीकमगढ़
25. श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी, लक्ष्मी टॉकीज के पास, टीकमगढ़
26. मे. अनुभव मिनरल्स, सिविल लाईन्स टीकमगढ़
27. श्री कैलाश कोठारी, सिविल लाईन्स टीकमगढ़
28. श्री जय कोठारी, सिविल लाईन्स टीकमगढ़
29. श्री अमरजीत सिंह सिविल लाईन्स, टीकमगढ़
30. श्री प्रमोद मसीह, 12, पंचशील नगर रायपुर
31. डॉ. के.के. सक्सैना, सिविल लाईन, टीकमगढ़
32. श्री चन्द्रप्रताप तिवारी पुत्र श्री तुलसीदास तिवारी, बड़ापुरा, कुरयान जिला टीकमगढ़
33. श्री महेन्द्र सिंह चौहान, वनपुरा खुर्द, टीकमगढ़
34. श्री दशरथ प्रसाद तिवारी, बड़ा मल्हारा जिला छतरपुर
35. श्री हर्ष कुमार सक्सेना, जय निवास, सिर्किट हाउस रोड़ टीकमगढ़
36. मे. शिल्पी स्टोन प्रा.लि., जय निवास, सिविल लाईन्स रोड़ टीकमगढ़
37. श्री रवीन्द्र कुमार राय पुत्र श्री छक्कीलाल राय, कुरैचा नाका मोहल्ला, मउरानीपुर जिला झांसी
38. श्री राजीव नुना, लक्ष्मी टॉकीज के सामने टीकमगढ़
39. श्री रविशंकर सिंह पुत्र श्री रमाशंकर सिंह, महेन्द बाग टीकमगढ़
40. श्री मनीष शर्मा, लिधोरा, टीकमगढ़
41. दि. मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., पर्यावास भवन जेल रोड़ भोपाल
42. मे. रिलायंस मिनरल्स प्रो. राजेन्द्र कुमार जैन, बाटा बैंक रोड़, टीकमगढ़
43. मे. श्री ज्ञान माईनिंग एण्ड मिनरल्स, नूतन बिहार कॉलोनी, टीकमगढ़
44. मे. श्री रामराजा मिनरल्स, पार्टनर श्री जगदीश शरण नायक, जेल रोड़ टीकमगढ़, जतारा, टीकमगढ़
45. मे. मारुति मिनरल्स पार्टनर श्री वीरेन्द्र कुमार दीक्षित, दीक्षित, मोहल्ला जिला टीकमगढ़
46. मे. श्री राम मिनल्स, सुनौनी, तह. व जिला टीकमगढ़
47. मे. शिव मिनरल्स, बड़कुल, सिविल लाईन टीकमगढ़
48. मे. खजुराहो मिनरल्स प्रा.लि., पो. बाक्स नं. 24, छतरपुर
49. मे. चम्बल माईस एण्ड मिनरल्स, बुडार तह. सोहागपुर जिला शहडोल
50. मे. कुण्डेश्वर मिनरल्स, प्रो. श्रीमती सुषमा सिंह, ताल दरवाजा, टीकमगढ़
51. श्री महेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री सरदार सिंह, ताल दरवाजा, टीकमगढ़
52. श्रीमती तूषा चक्रवर्ती, एम.आई.जी. सेक्ट-6, 3, शंकर नगर रायपुर
53. श्री देवकीनंदन अरोरा पुत्र स्व. श्री बी.आर. अरोरा, कटरा बजार टीकमगढ़
54. श्रीमती गुलाब रानी पत्नी श्री देवी सिंह, 49/36, साउथ टी.टी. नगर भोपाल
55. मे. वसुन्धरा स्टोनो एक्सप्लोरर्स प्रा.लि., 4, मनीषपुरी इंदौर

56. श्री हर्ष कुमार सक्सेना, जय निवास, सिकिर्ट हाउस रोड टीकमगढ़
 57. श्रीमती सुषमा सिंह, ताल बजार टीकमगढ़
 58. श्री ज्ञानेन्द्र सिंह बुन्देला, ताल बजार टीकमगढ़
 59. श्री राजेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री प्रताप सिंह यादव, रायपुर जिला
 टीकमगढ़
 60. श्री राजेश कुमार सोनी पुत्र श्री बाबूलाल सोनी, राजमहल रोड
 टीकमगढ़
 61. श्री हीरालाल लुहारिया पुत्र श्री तुलाराम लुहारिया, दिगौड़ा, जिला
 टीकमगढ़
 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
 62. गार्ड फाइल।

अवर सचिव

म०प्र०शासन, खनिज साधन विभाग

True Copy

KHAJURAHO MINERALS PVT LTD

A. Gupta
 DIRECTOR